सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 247 **राँची**, **सोमवार**, **22 चैत्र**, 1938 (**श०**)

11 **अप्रैल**, **201**6 **(ई०)**

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

29 **मार्च**, 2016

विषय :-गिरिडीह नगर पर्षद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) की योजना लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु योजना के कुल लागत राशि ` 17088.00 लाख एवं राज्य योजना मद से कुल राशि रु० 5950.00 लाख मात्र (20 वर्षों में) देने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में |

.....

संख्या-06A/न०वि०/वित्त आयोग (12 वें०)-101/09-1649 74 **वें संविधान संशोधन की की** 12 **वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है| अतः नगर विकास विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक / बुनियादी सुविधाएं**

उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है|

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है | इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये वर्ष 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है |

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी ठोस अपशिष्ट के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है|

4. गिरिडीह नगर निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी| परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका था| भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार किया गया है, जिसमें जिसमें door to door collection, transportation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है| यह योजना लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार की गयी है तथा इस योजना की 20 वर्षों के परिचालन एवं अनुरक्षण (operation and maintenance) सहित कुल योजना का अनुमानित लागत ` 17088.00 लाख है जिसका विस्तृत विवरण तालिका-1 में दिया गया है| CAPEX मद में कुल कुल खर्च ` 1495.45 लाख है एवं 20 वर्षों के परिचालन एवं अनुरक्षण का कुल खर्च ` 15397.65 लाख है | अन्य मद में कुल खर्च रु॰ 194 .41 लाख है|

तालिका - 1

S.No.	Particulars	Amount in₹ ` Lakhs
1.0.	Total Project Cost (2.0 + 3.0 + 4.4)	17088.00
2.0.	Capital Investment (CAPEX)	1495.45
2.1.	Capital Investment by PPP operator @30% of 2.0	448.64
2.2.	Capital Grant Required (2.0-2.1)	1046.81
3.0.	Operation & Maintenance (OPEX) Cost in 20 Yrs.	15397.65
3.1.	Revenue generated by user charge and sale of product	9978.63
3.2.	Grant Required for O&M in 20 Yrs. (3.0 – 3.1)	5419.02
4.0.	Other Expenses	194.41
4.1.	Cost of DPR@ 1.5%	22.43

4.2.	Training & capability building of U.L.B @1.5%	22.43
4.3.	Monitoring & supervision charges @ 10%	149.55
4.4.	Grant Required in other expenses (4.2 + 4.3)	171.98 (172.0)
		6637.81
5.0	Total Grant Required in 20 Yrs. (2.2+3.2+4.1 + 4.2) ₹	6638.00 (Say)

5. **इस योजना में अनुदानित कुल राशि** ` 6638.00 **लाख है |**

6. **उपरोक्त** DPR **पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है |**

7. **योजना हेतु** 7.1 **एकड़ भूमि निकाय के पास उपलब्ध है , जो पर्याप्त है |**

8. Capex **मद में** PPP **पार्टनर द्वारा न्यूनतम** 30% **राशि यानि** ` 448.64 **लाख लगाना है |**

9. **केन्द्रांश की कुल राशि** ` 288.00 **लाख** SBM **योजना के तहत देय है (प्रति व्यक्ति** ` 240.00 SWM **योजना के लिए तथा** DPR **बनाने के लिए** ` 12.00 **प्रति व्यक्ति)|**

10. 12 **वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में** Local Bodies Grants **के तहत वर्ष** 2008 - 09 **में निकाय को कुल राशि** ` 400.00 **लाख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** (SWM) **योजना के लिए आवंटित भी किया जा चुका है|**

तालिका - 2

S.No.	Particulars	Amount in₹ ` Lakhs
1.0.	Total Grant Required	6638.00
2.0.	Central Government Share(in CAPEX& other)	288.00
3.0.	Fund available and released in12th FC in 2008-09	400.00
4.0.	Total State Government Share (1.0– 2.0 – 3.0)	5950.00
4.1.	State Government Share in CAPEX	359.00
4.2.	State Government Share in OPEX(20 yrs.) and others	5591.00

11. **राज्यांश, राज्य योजना मद से कुल राशि** ` 5950.00 **लाख दिया जाना है|**

12. **इस योजना को** BOT (Built, Operate & Transfer) Mode **पर कार्यान्वित की जायेगी|**

13. **इस योजना की निविदा प्रक्रियाए दो विभिन्न निविदाओं द्वारा पूर्ण की जाएगी|**

a) **प्रथम निविदा के तहत** Collection, Storage and transfer **हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों एवं वाहनों का क्रय अलग से किया जायेगा| इस निविदा की निविदा राशि कुल रु० रु०** 310.73 **लाख होगी तथा दूसरी निविदा** PPP mode **पर की जायेगी|**

b) दूसरी निविदा PPP mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत processing plant तथा landfile site का निर्माण मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा| निविदा में capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) basis पर आमंत्रित किया जायेगा |

गिरिडीह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना जिसकी कुल लागत` 17088.00 लाख है हेतु राज्य योजना मद से 5950.00 लाख निकाय को 20 वर्षों में प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10 मार्च, 2016 में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव |

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 247–50+100 ।